06.10.2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलाण्ट व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि है, जिसके बंटवाड़े का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विधि के अनुसार सहखातेदारी के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। तथा किसी सहखातेदार के खिलाफ अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. 2015(2) RRT 976
2. 2009(1) RRT 25

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 07.02.2020 को पारित कर आदेश 39 नियम 3 ए की पालना करने के निर्देश अपीलाधीन आदेश में दिए गए थे, विधि अनुसार उक्त निर्देशों की पालना में स्थगन आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कॉपी मय प्रार्थना पत्र तीन दिन के भीतर–भीतर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्री भेजकर उसकी पालना रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश करनी चाहिए थी। एक पक्षीय आदेश पारित करने के पश्चात आदेश 39 नियम 3 ए की पालना कराने का मेन्डेटरी प्रावधान है जिसकी पालना नही की गई।

धारा 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान से स्पष्ट है कि जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए यदि ऐसा करने में असमर्थ है तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2020 को जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित आदेशिका दिनांक 20.08.2021 तक प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं हो पाई थी। इतनी लम्बी अवधि तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं होने से पक्षकारों को अनावश्यक परेशारियों का सामना करना पड़ता है, एवं यह विधि में प्रदत्त प्रावधानों के भी विपरीत है। अतः हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2020 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को पालनार्थ जारी हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली